

लिफाफा- 'ख'

प्रारूप-13 ग  
{ नियम 23(1)(ग) देखिए }

सरकारी  
बिना टिकट

लिफाफा-ख

(राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में उपयोग में लाया जायें)

हर ऑफिसर, जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वह पत्र संबंधित व्यक्ति को अविलम्ब परिदत्त कर दिया जाए, निर्वाचनों का संचालन

नियम 1961 का नियम 23(4)

निर्वाचन-अविलम्ब

डाक-मतपत्र

.....निर्वाचन क्षेत्र के लिए

(गणना से पूर्व न खोला जाए)

प्रेषिती :-

रिटर्निंग ऑफिसर

\*\*

.....  
.....  
.....  
.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर

\* रिटर्निंग ऑफिसर यहा पर समुचित संसदीय / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखें.

\*\* रिटर्निंग ऑफिसर यहां पर अपना डाक का पता लिखें.

\*\*\* ऐसे निर्वाचन की दशा में, जो भारत से किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है, काट दीजिए